यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** के माह 04/2017 से माह 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एफ.आर.खान, व.ले.प, श्री अंशुमन अग्रवाल, एवं श्री गोविन्द कुमार सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 11.07.2018 से 21.07.2018 एवं 23.08.2018 तक श्री हिमांशु मणि, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण मे संपादित किया गया था।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.08.2017 से 17.08.2017 तक श्री सुनील कल्ला वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में संपादित की गयी थी। जिसमें माह 02/2016 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2017 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः देहरादून का क्षेत्र, वन संवर्धन एवं खनन सम्बंधित कार्य

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	2364.79
2016-17	3365.68
2017-18	2649.13

(ii) (ब) बजट का विवरण

विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

₹ लाख में

वर्ष	स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)		आधिक्य	बचत (-) ₹ स्थापना	बचत गैर स्थापना
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय			
2015-16	3690.63	3690.00	6855.99	6850.49	-	0.63	5.50
2016-17	3095.00	3094.93	5028.88	5013.47		0.07	10.41
2017-18	7211.114	7192.67	779.75	792.84	-	18.444	36.91

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रा0 अ0 (₹)	प्राप्त ₹	व्यय आधिक्य (+)	बचत(-)
2015-16	1- हाथी परियोजना	0	295900	295900	0
	2- इन्टीग्रेटेड फारेस्ट मैनेजमेंट योजना	0	1470000	1470000	0
	2- उत्तराखण्ड वन संसाधन (जायका)	0	650000000	650000000	0
	योग;-	**0**	**651765900**	**651765900**	**0**
2016-17	1- हाथी परियोजना	0	1084000	1084000	0
	2- इन्टीग्रेटेड फारेस्ट मैनेजमेंट योजना	0	1466600	1466600	0
	2- उत्तराखण्ड वन संसाधन (जायका)	0	475000000	475000000	0
	योग:-	**0**	**477550600**	**477550600**	**0**
2017-18	1- हाथी परियोजना	0	900000	900000	0
	2- इन्टीग्रेटेड फारेस्ट मैनेजमेंट योजना	0	384000	384000	0
	3- उत्तराखण्ड वन संसाधन (जायका)	0	50000000	50000000	0
	योग:-	**0**	**51284000**	**51284000**	**0**

इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई A श्रेणी की है।

(iii) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

सचिव- प्रमुख वन संरक्षक- अपर मुख्य वन संरक्षक- वन संरक्षक- उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 07/2017 को विस्तृत जांच हेतु (राजस्व) चयनित किया गया।

माह 03/2018 को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो .....-.....

का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन ..... (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाय) के आधार पर किया गया।

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

व्यय से संबंधित
भाग- 2 ब

प्रस्तर - 1 अनियमित व्यय ₹ 219.00 लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग,देहरादूनकी रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0गर्ग कांट्रैक्ट सर्विस देहरादूनद्वारा 04/ 2017 से 03/2018 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी है तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 04/2017 से 03/2018 तक ₹2,18,99,979 का भुगतान किया गया है। मै0गर्ग कांट्रैक्ट सर्विस देहरादूनसे अनुबंन्ध बिना निविदा आमंत्रण के कर लिया गया है। जबकि अनुबन्ध किये जाने के पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के **अन्तर्गत** निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके।

उक्त को इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। अतःविभाग द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के नियम 61 (2) का अनुपालन नही किया गया था अतः ₹ 219.00लाख़ का अनियमित व्यय किया गया था।

अतःप्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 ब

प्रस्तर 2: लेंटाना उन्मूलन पर निष्फल व्यय ₹6.00 लाख।

विभाग मेंप्रचलित कार्य पद्धति के अनुसार किसी भी लेंटाना प्रभावित क्षेत्र से लेंटाना के पूर्ण उन्मूलन के लिए उस क्षेत्र का लगातार तीन वर्षों तक निगरानी एवं उपचार के अधीन रहना आवश्यक होता है क्योंकि प्रथम वर्ष लेंटाना उन्मूलन के पश्चातभूमि में उपलब्ध लेंटाना के बीज प्रकाश एवं नमी के संपर्क में रहकर पुनः पौध के रूप में विकसित हो जाते हैं जिनके उन्मूलन के पश्चात ही लेंटाना प्रभावित क्षेत्र का उपचार पूर्ण होता है। इसी कारण से, विभाग द्वारा लेंटाना प्रभावित क्षेत्र के पूर्ण उपचार हेतु लगातार तीन वर्षों तक अलग–अलग दरों से बजट उपलब्ध करवाया जाता है।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अभिलेखों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान प्रभाग में लेंटाना से प्रभावित क्षेत्र के प्रथम वर्ष उपचार तथा उन्मूलन हेतु 67.1 हेक्टेयर का चयन किया गया था जिस पर ₹ 6.00 लाख का व्यय किया गया था। इन क्षेत्रों के द्वितीय वर्ष में उपचार हेतु कोई व्यय नहीं किया गया था। जिससे स्पष्ट है की प्रथम वर्ष उपचार पर किये गए व्यय के पश्चात इन क्षेत्रों में द्वितीय एव तृतीय वर्ष लगातार लेंटाना उन्मूलन न कराये जाने के कारण लेंटाना पुनः उगकर क्षेत्र की पारिस्थितिकी को प्रभावित करेगा। अतः प्रभाग द्वारा वर्ष 2015-16 तक के दौरान लेंटाना के कार्य को द्वितीय वर्ष एव तृतीय वर्ष जारी न रखने के परिणामस्वरूप ₹ 6.00 लाख का व्यय निष्फल रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि बजट उक्त मद में प्राप्त नहीं होने के कारण द्वितीय एव तृतीय वर्ष लेंटना उन्मूलन का कार्य नहीं कराया गया।

अतः ₹ 6.00 लाख के निष्फल व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर- 1 जमानत जमा न जमा कराया जाना ₹ 52000

प्रभागीय वनधिकारी, देहरादून वन प्रभाग , देहरादून के जमानत जमा से संबन्धित प्राप्त सूचना की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों (सूची संलग्न) द्वारा बकाया जमानत धनराशि जमा नहीं की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर विभाग द्वारा अवगत कराया गया की जमानत जमा की धनराशि जमा कराने की कार्यवाही गतिमान है।

अतः प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

<u>राजस्व से संबंधित</u> विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
-	-	-	-

व्यय से संबंधित: विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
04/2003-05/2005	1	-	-
06/2005-03/2006	2	-	
04/2006-07/2009	1	4	-
08/2009-07/2010	1	1	-
08/2010-01/2012	-	1	-
02/2012-05/2013	-	4	-
06/2013-01/2016	3	8	-
RS/FR/75/2017-18	-	1,2,3,4	STAN-1

<u>भाग-IV</u>

<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>

(1)राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

(2)व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

शून्य

2.**सतत् अनियमितताएः**

शून्य

3.**लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
1	श्री पी.के. पाण्डेय	उप वन संरक्षक
2	श्री राजीव धीमान	उप वन संरक्षक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)-उत्तराखंड, देहारादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
राजस्व क्षेत्र